सर्वोच्च प्राथमिकता / अतिमहत्वपूर्ण

संख्याः 293 /अड़तीस–5–2017–6सम/2017

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

2. **मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)**
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

3. **महाप्रबन्धक,**
जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

4. **महाप्रबन्धक,**
जल संस्थान, झांसी मण्डल, झांसी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनॉक 08 अप्रैल, 2017

विषयः– बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के तात्कालिक समाधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–278/अड्तीस–5–17–6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 05 मार्च, 2017 के बिन्दु–(1) की अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित ***"यथावश्यक"*** के स्थान पर **"अनिवार्यतः"** शब्द पढ़ा जाय। इस सीमा तक पत्र संख्या–278/अड्तीस–5–17–6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 को संशोधित समझा जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा हेतु दिनांक 03.04. 2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अपने–अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या–293 (1)/अड़तीस–5–2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा एवं झांसी मण्डल, झांसी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी–झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं चित्रकूट।
5. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को भी इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने–अपने विकास खण्डों में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

6/4/17

D:\2017\SO\GO-2017.docx